25.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने तीन पृथक–पृथक समय पर स्वीकृत नामान्तरकरणों को एक ही अपील के द्वारा चुनौती दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों नामान्तरकरणों का एक ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रावधानों के विपरित है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के हक मे प्रतीत होता है। अतः अतः उपखण्ड अधिकारी,मारवाड जंक्शन,जिला पाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 185/2018 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2018 की पालना व प्रभाव व रेकर्ड की अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखी जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर